

प्रारूप - XII

(नियम 31 ग देखिए)

आदेश के अनुपालन में भुगतान की वसूली के लिए वारंट
मूल आवेदन के मामले में अनुपालन आवेदन संख्या

आवेदन संख्या आवेदक

बनाम

महाप्रबंधक,रेलवे के माध्यम से भारत संघ

..... प्रत्यर्थी

सेवा में,

.....बैंक

महाप्रबंधक,रेलवेको मुकदमा
सं.में तारीखके आदेश
द्वारा आवेदक को नीचे दिए गए ब्यौच के अनुसार.....रुपए की राशि
का संदाय करने का आदेश किया गया था और रुपए की
उक्त राशि का संदाय नहीं हुआ है.

अधिनिर्णित राशि का ब्यौरा

मूल धन.....

ब्याज

खर्च

निष्पादन के खर्चे

अतिरिक्त ब्याज

कुल

आपको आपकी शाखा में प्रत्यर्थी के उक्त खाते में सेरुपए की सीमा
तक की राशि बैंक के माध्यम से इस अधिकरण को प्रेषित का निर्देश दिया जाता है ताकि
आदेशों की पूर्ति हो सके.

आपको यह और समादेश दिया जाता है कि तारीख.....को या उससे पहले
यह वारंट वापस कर दें जिसमें इसके निष्पादन के दिन तथा निष्पादन की रीति को या इसे
क्यों निष्पादन नहीं किया गया है, को प्रमाणित करने का पृष्ठांकन होना चाहिए .
मेरे हस्ताक्षर से और मोहर के अधीन आज तारीख.....को जारी किया गया.

(रजिस्ट्रार)